[illegible] 4-8-16
को पालना हेतु निर्देशित किया गया।
[illegible] पालना नहीं होने पर अग्रिम
कार्यवाही करने की हिदायत देते हुए
मिसल दिनांक 13-10-16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

13-10-16

वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी
[illegible] का पत्रावली पर विचारण की
तथा एक पक्षीय बहस प्रारम्भ (212)
की सुनी जावे। मिसल आदेश हेतु दिनांक
20-12-16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

20-10-16

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व
उभय पत्रावली पर मौजूद रेकर्ड का
अवलोकन किया गया। पत्रावली पर
मौजूद रेकर्ड एवं बहस के आधार
पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया
जाता है तथा प्रार्थना (212) दिनांक
अनुसार वा. फैसला बाद तक स्थाई
निषेधाज्ञा की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद नकल
मिसल रखा जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

[illegible]
[illegible] हेतु
[illegible] प्रकरण
[illegible] गया।
[illegible] हटाया
[illegible] न्यायालय

अध्यक्ष
लोक अदालत
खींवसर

[illegible]
उभय
[illegible] हेतु अग्रिम
[illegible] दिनांक
[illegible] पेश
[illegible] एक
[illegible] किया
[illegible] पति प्रकरण
[illegible] नगर
[illegible] एक अवसर
[illegible] जाता
[illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर